राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामावतार बनाम मैसर्स ग्रासिम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मन्जू देवी बनाम मैसर्स ग्रासिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
96/2013 84/2013		

22/12/2025

पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही वाद में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 96/2013, 84/2013 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 05/01/2026 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

05/01/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि मन्जू देवी व कृष्णा देवी ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 7/0.45, 184/0.67, 224/0.23, 236/0.70, 418/0.19, 419/0.21, 743/0.66, 679/0.80, 721/1.32, 852/2.14 कुल किता 10 रकबा 7.37 हैक्टयर वाके मोजा मोहनपुरा तहसील कोटपूतली के पूर्व में मातादीन पुत्र भूरा बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज थे, उनकी मृत्यू के बाद उनके फुट स्टेप पर उनके वारिसान वादियागण व प्रतिवादी स. 2 व 3 बहैसियत बराबर यानि 1/4, 1/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है, यानि वादीगण हिस्सा 1/2 के व प्रतिवादी सं. 2, 3 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार काबिज है। वादीगण व प्रतिवादी स. 2, 3 सम्मिलित में काश्त करते चले आ रहे है। अभी भूमि मुतनाजा का तकासमा नहीं हुआ है। शामिल में काश्त करते है। राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नही हुआ है इसलिए प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा है। अब दो रोज पूर्व प्रतिवादी सं. 1 वादियागण के खेत में जबरन कब्जा करने पर उतारु होने की धमकी देने लगे तथा कहा कि हमने आधी भूमि यानि 1/2 हिस्से की भूमि आपके भाई रामावतार व बहिन विधा देवी प्रतिवादी सं. 2, 3 से खरीद कर ली है, अब हम अन्दर खेत में घुसकर अच्छी से अच्छी भूमि पर कब्जा करेगे व बेदखल करेगे, जबकि प्रतिवादी सं. 2, 3 को बिना तकासमा बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है, ना ही बिना तकासमा प्रतिवादी सं. 1 को भूमि कय करने का अधिकार था। प्रतिवादी सं. 1 स्ट्रेन्जर परचेजर की तारीफ में आता है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को तकासमा के लिए कहा तो वे इन्कार हो गये। इस कारण दावा करना आवश्यक हुआ तथा दावा अन्दर मियाद पेंश किया गया। वादीगण हिस्सा 1/2 भाग की भूमि के बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है का मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी का तहसीलदार से मौके पर जाकर तकासमा करवाया जावें तथा वादियागण के हिस्से में आई भूमि का बहैसियत तन्हा रुप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामावतार बनाम मैसर्स ग्रासिम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मन्जू देवी बनाम मैसर्स ग्रासिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
96/2013 84/2013		

रिकार्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि वे आराजी मुतनाजा का बिना तकासमा आराजी में प्रवेश नही करे, ना ही कोई निर्माण आदि करे, ना ही खड्डे आदि खोदे, ना ही वादियागण को बेदखल करे | वादियागण के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध दिनांक 09/07/2009 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13/02/2013 को तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वादियागण का वाद आंशिक रूप से डिक्री कर एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम भी आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 7/0.45, 184/0.67, 224/0.23, 236/0.70, 418/0.19, 419/0.21, 743/0.66, 679/0.80, 721/1.32, 852/2.14 कुल किता 10 रकबा 7.37 हैक्टयर वाके मौजा मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली का 3/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 2 रामोतार को तथा 1/4 हिस्से का वादियागण को बराबर-बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर रामावतार द्वारा अपील संख्या 96/2013 उनवानी रामावतार बनाम ग्रासिम इण्डस्ट्रीज एवं मन्जू देवी व कृष्णा देवी ने अपील संख्या 84/2013 उनवानी मन्जू देवी बनाम मैसर्स ग्रासिम इण्डिया इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक प्रस्तुत हुई | जिसमे उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले एक ही निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है तथा दोनों अपीलों में इकजाई रूप से अधिवक्तागण की बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलीयो पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तुत परिक्षण/विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामावतार बनाम मैसर्स ग्रासिम 96/2013 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मन्जू देवी बनाम मैसर्स ग्रासिम 84/2013	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया है, जिनमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13/02/2013 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश: 96/2013 व 84/2013 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 05/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर